अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

04 11.07.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 52 /2023 राज्य बनाम अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा जिला रॉंची ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 642/डी०सी०बी० दिनांक 05.06.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा जिला रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित है:– 1. धुर्वा थाना कांड सं0–234/22 दिनांक 02.09.2022, धारा–379/414 भा०द०वि० 2. धुर्वा कांड सं0–267/22 दिनांक–03.10.2022 धारा–379/414 भा०द०वि० 3. धुर्वा थाना कांड सं0–338/22 दिनांक– 10.12.2022 धारा–25 (1–बी०) ए०/26/35 शस्त्र अधिनियम 4. धुर्वा थाना सन्हा स०– 13/23, दि०– 09.05.2023 5. धुर्वा थाना सन्हा सं0– 16/23, दि०– 10.05.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, हटिया, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक– 1063/2023 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा	

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

जिला रांची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है, जो वर्तमान में जेल से बाहर है। पुलिस के द्वारा कई बार इनके घर पर छापामारी किया गया है पर ये घर नहीं मिलते है। आस–पास के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ये अपराधकर्मी शातिर किस्म के अपराधी है। पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। जिससे लोक–व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ रहा है। इनके विरूद्ध कई कांड दर्ज है। इनकी अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का वातावरण है जिससे समाज में अशांति है। इनकी आपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच आतंक, भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त है, जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1) (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। उन्होने स्वयं उपस्थित होकर इस वाद मे अपना पक्ष रखा। विपक्षी के अनुसार उन्हे झुठे मामले मे फंसाया गया है। विपक्षी झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के दायरे मे नही आते है। उपरोक्त सभी आधार वाद मे विपक्षी को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है। विपक्षी के खिलाफ झुठे आरोप के तहत् सन्हा दर्ज किया गया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। वे एक शातिर आदतन असमाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 3

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा जिला राँची को दिनांक 18.07.2023 से दिनांक 17.10.2023 तक की अवधि के लिए धुर्वा थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी धुर्वा के समक्ष रू० 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 17.07.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 18.07.2023 से दिनांक 17.10.2023 तक प्रत्येक दिन धुर्वा थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति अरशद अंसारी पिता इरशाद अंसारी, निवासी ग्राम सिठियों थाना धुर्वा जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.28 08:31:20 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2c39:30b9:62dc:fc76